(11)

संख्या : 1601/2001–137(चि0)/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
रूड़की विश्वविद्यालय,
रूड़की।

2. महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल।

3. निदेशक,
आयुर्वेद, उत्तरांचल।

चिकित्सा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 30 अप्रैल, 2001

विषय :– प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल कालेज/राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में एम.बी.बी.एस./ बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2001–2002 में प्रवेश हेतु उत्तरांचल प्री–मेडिकल टेस्ट (यू.पी.एम.टी.) 2001 का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल कालेज में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम एवं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार तथा गुरूकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये शैक्षिक सत्र 2001–2002 हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये वर्ष 2001 उत्तरांचल प्री–मेडिकल टेस्ट (यू.पी.एम.टी., 2001) रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया जायेगा तथा इस परीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों पर प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा :–

1. (i) प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित हिमालयन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम।

   (ii) उत्तरांचल राज्य के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम।

2. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2001–2002 में यू.पी.एम.टी., 2001 द्वारा भरी जाने वाली सीटों का कालेजवार तथा पाठ्यक्रमवार विवरण संलग्नक–1 में है जिसमें सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या

का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप हिमालयन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, जौलीग्रान्ट के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में निदेशक, आयुर्वेद द्वारा किया जायेगा।

3. उत्तरांचल प्री–मेडिकल टेस्ट – 2001 के आयोजन के संबंध में उपर्युक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये हैं।

(i) उत्तरांचल पी.एम.टी.–2001 (संक्षेप में यू.पी.एम.टी.) की परीक्षा माह जुलाई, 2001 के प्रथम सप्ताह तक आयोजित कर ली जायेगी तथा परीक्षाफल जुलाई, 2001 के अन्तिम सप्ताह तक घोषित कर दिया जायेगा। शिक्षा सत्र अगस्त, 2001 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। परीक्षा का पूरा कार्यक्रम रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा तथा परीक्षा की तिथियां इस प्रकार रखी जायेंगी कि वे विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाओं की तिथियों से भिन्न हों।

(ii) रूड़की विश्वविद्यालय परीक्षा के आयोजन के सभी पहलुओं को देखेंगे, परीक्षा विषयक समस्त कार्यो का अनुश्रवण करेंगे और विशेष रूप से ऐसे उपायों को सुनिश्चित करेंगे जिससे परीक्षा के संबंध में कोई लीकेज त्रुटि अथवा भ्रष्टाचार की गुंजाईश न रहे। रूड़की विश्वविद्यालय परीक्षाफल पर भी सभी पहलुओं से विचार करेंगे तथा परीक्षाफल के आधार पर मेरिट सूची बनाई जायेगी। मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न कालेजों में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित कौसिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। परीक्षा के आयोजन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा परीक्षाफल की दो प्रतियां शासन को उपलब्ध कराई जायेंगी। यू.पी.एम.टी.–2001 के निर्विवाद, निर्विघ्न एवं त्रुटि रहित सम्पन्न कराने, त्रुटि रहित परीक्षाफल तैयार कराने और परीक्षाफल शासन को हस्तगत कराने का दायित्व रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की का होगा।

(iii) यू.पी.एम.टी.–2001 में वर्तमान नीति के अनुसार 4 विषयों अर्थात भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं जन्तु विज्ञान में एकल प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा ली जायेगी। प्रश्न पत्र के 4 प्रभाग होंगे जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति शास्त्र में 40–40 प्रश्न कुल 160 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। सभी विषयों के प्रश्न पत्र इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

(iv) सभी विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव टाईप) होंगे।

4. **अर्हतायें :**

(क) *आयु सीमा :–* प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अभ्यर्थियों का जन्म 31दिसम्बर, 1984 के पूर्व हुआ हो।

(ख) प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये प्रदेश के एक मात्र निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों हेतु सिर्फ उत्तरांचल के अभ्यर्थी अर्ह होंगे जबकि आयुर्वेदिक कालेजों में उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल दोनों राज्यों के अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

(ग) *शैक्षिक अर्हता :–* इन्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलाजी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी यू.पी.एम.टी.–2001 में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये उन सभी अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी जो अर्हकारी परीक्षा 2001 में सम्मिलित हो रहे हों परन्तु यू.पी.एम.टी. में

सफल होने पर संबंधित पाठ्यक्रम में आवंटन/प्रवेश तभी अनुमन्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया के रेगुलेशन आन ग्रेजुएट मेडिकल ऐजुकेशन, 1997 के अनुसार निर्धारित अर्हताऐं लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में, अंग्रेजी, फिजिक्स, कैमेस्ट्री एवं बायोलौजी को सम्मिलित करते हुए उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जिसमें इन विषयों की अंग्रेजी को छोड़कर प्रेक्टिकल टेस्ट भी सम्मिलित होगा तथा अंग्रेजी विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से विज्ञान विषय सहित माध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे।

(घ) बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक 35 प्रतिशत होगा। एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया द्वारा निर्धारित अर्हतायें मान्य होंगी जो निम्नवत हैं –

सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षा (यू.पी.एम.टी.) के कम से कम 50 प्रतिशत तथा फिजिक्स, कैमेस्ट्री एवं बायोलौजी में औसत 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। मेरिट सूची के अभ्यर्थी का मेरिट क्रम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान के प्रश्न पत्रो में उसके प्राप्तांकों के योग के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः संबंधित अभ्यर्थियों के रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र प्रभाग के प्राप्तांकों के मेरिट क्रम में किया जायेगा। रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र प्रभाग में भी एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर जन्तु विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रभाग के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक का अवधारण न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों के क्रमशः वनस्पति शास्त्र तथा उसके बाद भौतिक शास्त्र के प्रश्न पत्र के प्राप्तांक के क्रम में मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बाबजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो संबंधित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम कुलपति, रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष लाटरी (टास) के आधार पर किया जायेगा।

5. यू.पी.एम.टी.–2001 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अनुमन्य होगा। बी.ए. एम.एस. पाठ्यक्रम से संबंधित हरिद्वार स्थित दोनो कालेजों के लिये चूंकि उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य दोनो के अभ्यर्थी अर्ह होंगे अतः इसके आरक्षण की व्यवस्था उत्तरांचल राज्य बनने की नियत तिथि के पूर्व को जो आरक्षण की व्यवस्था थी वह लागू होगी।

हिमाल्यन इन्स्टीटयूड आफ मेडिकल साइन्सेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून में चूंकि केवल उत्तरांचल राज्य के अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे तथा आरक्षण की प्रतिशत की अनुमन्यता के संबंध में मामला उत्तरांचल शासन के विचाराधीन चल रहा है इसलिये सीटों का आरक्षण उत्तरांचल राज्य द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार होगा।

(क) आरक्षण के संबंध में भेद–भाव की आशंकाओं को दूर करने के लिये उत्तर पुस्तिकाओं तथा प्रवेश पत्रों पर श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जायेगा। उत्तर पुस्तिकाओं पर किसी श्रेणी के अभ्यर्थी का अलग से अनुक्रमांक चिन्हित नहीं किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी जिसके अन्तर्गत वह यू.पी.एम.टी.–2001 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। श्रेणियों के विवरण तथा कोड संलग्नक–8 में दिये गये हैं। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा वह किसी भी दशा में किसी अवसर पर भी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(घ) विकलांग अभ्यर्थियों को सुरक्षित सीटों पर एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सा परीक्षा विशेष बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आरक्षित सीट के समकक्ष उसकी अभ्यर्थन के संबंध में दिया गया निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। उक्त विशेष बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परीणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग के पहले बैठेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्ही अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांग की श्रेणी में काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। केवल महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक है कि वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तो ऐसे अभ्यर्थी यू.पी.एम.टी. में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के पुत्र/पुत्री की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में निम्न

संलग्न उत्तर प्रदेश के शासनादेशों के साथ संलग्न प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र मान्य होंगे। स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित हेतु केवल यह पर्याप्त होगा कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र की अविवाहित पुत्री हो। आश्रित का स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पर आर्थिक रूप से आश्रित होना आवश्यक नहीं होगा।

1.	प्रदेश के बाहर से प्रदेश में प्रवासित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विषयक प्रमाण पत्र के बारे में	:	संख्या – 22/5–82(1)–कार्मिक–2 19–4–83 के साथ पठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पत्र संख्या बी.सी. –16014/182 एस.सी. एण्ड बी.सी.डी. –1 दिनांक 25.11.82 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2)
2	राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र	:	संख्या – 84/का–1/94–1/1/1994 दिनांक 29.3.94 (संलग्नक–3)
3.	अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र	:	(उत्तर प्रदेश लोक सेवा/अनु.जाति/ अनु.जनजाति और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 – 8.12.95 द्वारा संशोधित) (संलग्नक–4) संख्या – 22/16/92 का 02/95– टी.सी. दिनांक 13.12.95 के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक–4)
4.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र	:	संख्या – 4/3/82–क.–2/1997 दिनांक 26.12.97 के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक–5)
5.	युद्ध में मृत/विंकलांग के आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र	:	(संलग्नक–6)

इस संबंध में काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा मूल प्रमाण पत्र से प्रमाणित छायाप्रति की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(छ) उत्तरांचल के बाहर से उत्तरांचल में प्रवासित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों, जो यू.पी.एम.टी. में सम्मिलित होंने हेतु अन्यथा अर्ह है के लिये जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासनादेश सं0 22/5–1982–का–2 दिनांक 19.04.1983 के साथ पठित भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या बी.सी. –16014/182–एस.सी. एण्ड बी.सी.डी.–1 दिनांक 25.11.82 (प्रतिलिपि संलग्न) में विहित आदेशानुसार यू.पी.एम.टी.–2001 के प्रार्थना पत्र में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी, शासनादेशों में विहित प्रक्रिया अनुसार तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि केवल सक्षम प्राधिकारी से यू.पी.एम.टी. फार्म पर निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संगत श्रेणी के आरक्षण का लाभ पूर्व स्तर के अनुसार अनुमान्य होगा तथा मूल प्रमाण पत्र को काउंसिलिंग के समय अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना होगा।

6. यह निर्णय लिया गया है कि यू.पी.एम.टी. की परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्र यदि किसी पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेकर अध्यनरत हो जाता है तो उसे आगामी यू.पी.एम.टी. की परीक्षा में बैठने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उक्त पाठ्यक्रम जिससे प्रवेश लिया है का अध्ययन पूर्ण न कर ले। किन्तु प्रत्येक छात्र को यह विकल्प होगा कि वह प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर यह निश्चित कर ले कि वह वर्तमान पाठ्यक्रम जिसमें उनका चयन हुआ है व अध्ययन करना चाहता है अथवा पुनः आगामी यू.पी.एम.टी. परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है। यदि ऐसा छात्र 90 दिन के अन्दर अपनी सीट त्याग देता है तो उसे यू.पी.एम.टी. परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। जो छात्र उक्त अवधि में अपनी सीट छोड़ने की सूचना लिखित रूप से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल देहरादून तथा अपने प्रधानाचार्य को नही देते है, उन्हें अपने पाठ्यक्रम में अध्ययनरत माना जायेगा तथा आगामी यू.पी.एम.टी. परीक्षा में बैठने के पात्र नही होंगे।

यह कार्यवाही संबंधित अभ्यर्थी अपने स्तर पर पूर्ण करेंगे यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त प्रक्रिया का उलंघन करता है तो यू.पी.एम.टी.–2001 की परीक्षा में अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

7. आवेदन पत्र में दी जा रही सूचना के आधार पर आवेदक को यू.पी.एम.टी. परीक्षा में मांगी गई श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी। किन्तु काउंसलिंग के समय काउंसलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाणक देखे जायेंगे तथा उसके आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ अनुमान्य है अथवा नहीं। केवल इस आधार पर कि यू.पी.एम.टी. परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है कोई भी अभ्यर्थी श्रेणी का लाभ पाने का हकदार नहीं हो जायेगा।

आवेदन पत्र में लिखी या दी गई किसी भ्रामक, गलत तथा तथ्यों से परे की सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त जैसी भी स्थिति हो अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/ प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त

यह कार्यवाही संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा इससे पूर्व रूड़की विश्वविद्यालय तथा काउंसलिंग बोर्ड द्वारा की जायेगी।

8. (i) परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यकता हो राज्य सरकार को प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिनमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलित हैं) कमी/ बढ़ोत्तरी अथवा उनके संबंध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

(ii) यू.पी.एम.टी.–2001 में बैठने वाले अभ्यर्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम में परीक्षा दे सकते है बशर्ते कि वह संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता रखते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थी को यू.पी.एम.टी.–2001 में मेरिट में प्राप्त स्थान को दृष्टिगत रखकर काउंसलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया जायेगा। प्रथम बार काउंसलिंग के पश्चात सीटें रिक्त रहने पर पुनः काउंसलिंग शासन के निर्णय के उपरान्त कराई जा सकती है।

9. यू.पी.एम.टी.–2001 के लिये कुल आवेदन शुल्क रूपये 800 होगा।

10. परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु रूड़की विश्वविद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखेंगे :–

(क) सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के संबंध में कोई भ्रम या दोहरे उत्तर की अवधारणा की सम्भावना न रहे। परम गोपनीयता को बनाये रखने की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिये। पेपर लीकेज की कोई सम्भावना नहीं होनी चाहिये। सम्पूर्ण परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखना रूड़की विश्वविद्यालय का दायित्व होगा। यू.पी.एम.टी. आयोजित करने वाली संस्था के परीक्षक मण्डल द्वारा यू.पी.एम.टी. प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(ख) परीक्षा संचालन में कम्पयूटरों का उपयोग करते समय आंकडों के संबंध में रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा यह भली भांति सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी गलती की कोई सम्भावना न रहे।

(ग) यू.पी.एम.टी.–2001 का आवेदन पत्र निदेशक (आयुर्वेद) एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से विचार–विमर्श कर तैयार किया जायेगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात आवेदन पत्र इत्यादि हस्तगत कराने में भी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं निदेशक (आयुर्वेद) से विचार–विमर्श कर कार्यवाही की जायेगी।

11. परीक्षा के परिणाम शासन को निम्नलिखित प्रारूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

(i) समस्त परीक्षाओं का रोल नम्बरवार परिणाम जिसमें अभ्यर्थी के चयन का भी विवरण होगा।

(ii) सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची।

(iii) विभिन्न श्रेणी (सामान्य तथा आरक्षित) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हकारी अंकों तक अलग–अलग मेरिट सूचियां।

(ii) प्रत्येक श्रेणी की मेरिट वाइज सूची की दो–दो कम्पयूटर फ्लापी।

12. परीक्षाफल घोषित हो जाने के उपरान्त यथाशीघ्र अन्य कार्यवाही पूर्ण करके प्रवेश दे दिया जायेगा। काउंसलिंग की तिथियां व कार्यक्रम परीक्षाफल के साथ प्रकाशित करा दिया जाये।

13. इस परीक्षा के संबंध में जो समय सारणी निर्धारित की जाये उसकी प्रतियां तथा निर्गत कि ये गये यू.पी.एम.टी. के आवेदन पत्रों की 15 प्रतियां शासन के उपयोगार्थ तत्काल भेजी जाये।

14. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि रूड़की विश्वविद्यालय तदानुसार यू.पी.एम.टी. 2001 आयोजित करने के लिये तत्काल यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

15. यू.पी.एम.टी. परीक्षा 2001 के आयोजन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 418 (एम.बी.) 1998 तुलिकाराम बनाम राज्य व अन्य मं दिनांक 15.12.98 को पारित आदेश संलग्नक–1(क) संलग्न है जिसका अनुपालन माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन किया जायेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलसचिव, रूड़की विश्वविद्यालय।
2. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
4. प्रधानाचार्य, हिमालयन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, देहरादून।
5. प्रधानाचार्य, ऋषिकुल/गुरूकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ।
6. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सचिव, मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया, टेम्पल रोड, कोटला रोड, नई दिल्ली।
8. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, गृह विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
10. सचिव, उच्च शिक्षा/न्याय एवं विधि परामर्शी/समाज कल्याण/कार्मिक, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
संयुक्त सचिव